

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.5(3)नविवि/II/2019

जयपुर, दिनांक

—:आदेश:—


18 JUNE 2022

18 JUL 2022

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कनिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पद	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	श्री गोपाल सैन	कनिष्ठ लिपिक	नगर विकास न्यास, भरतपुर	नगर विकास न्यास, अलवर	रिक्त पद पर

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नवनीत कुमार)

शासन संयुक्त सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
4. संबंधित कार्मिक।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव—द्वितीय